

25-6-25

पत्रावली पेश हुई। आर्ची खंप उपर / आर्ची 2021
 द्वारा एक आर्चना पत्र पेश कर विवेदन किया
 गया है कि इस न्यायालय के विचारधीन आर्चना
 पत्र 212 बिना खिखी रिलिफ के सिद्धो-
 करता आया है। अतः विचारधीन आर्चना पत्र
 212 खारिज कर दिया जावे। आर्ची दाप प्रस्तुत
 आर्चना पत्र का केवल एक किया गया। आर्चना
 पत्र में आर्ची द्वारा बिना खिखी रिलिफ के
 सिद्धो सिद्धे जाने पर आर्ची का आर्चना पत्र
 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली फल
 शुमार होकर नम्बर के अन्त में वादव्यक्ति
 पत्रावली दफ्तर दायिल है।

सहायक कलेक्टर
ज. नवाब नगरोपुर

